न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धनवाल
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी नियमित अपील संख्या–78/2019
CIS NO. Civil Regular Appeal/78/2019

जगदीश पुत्र मालाराम, उम्र 70 वर्ष, निवासी वार्ड नं0–20 खेतडी, तहसील खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––अपीलार्थी/वादी

बनाम

01. श्रीराम पुत्र खेमचन्द, निवासी वार्ड नं0–20 खेतडी, तहसील खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (मृतक)
    1/1 नानची देवी पत्नी श्रीराम
    1/2 मनोज पुत्र श्रीराम
    1/3 महेश पुत्र श्रीराम
    1/4 अशोक पुत्र श्रीराम
    समस्त निवासीगण वार्ड नं0–20 खेतडी, तहसील खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

02. नगरपालिका खेतडी जरिये अधिशासी अधिकारी
03. अध्यक्ष, नगरपालिका खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30 सितम्बर, 2019 न्यायालय सिविल न्यायाधीश खेतडी, मूल दीवानी वाद संख्या–85/2009 (सीआईएस नं0–231/2014) बउनवानी जगदीश बनाम श्रीराम व अन्य, दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश, पीठासीन अधिकारी मनेन्द्र शर्मा, आर0जे0एस0

उपस्थिति–

01. श्री प्रवीण कुमार सुरोलिया व श्री गणेश कुमार सुरोलिया – अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/वादी
02. श्री सुभाष कुमावत – अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4
03. श्री मुकेश पोषववाल – अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/प्रतिवादी 02 व 03

–:: निर्णय ::– दिनांक 18 अप्रेल, 2026

(01) अपीलार्थी/वादी जगदीश की ओर से प्रथम दीवानी अपील अन्तर्गत धारा 96 आदेश 41 नियम दीवानी प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई। विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश खेतडी, मूल दीवानी वाद संख्या–85/2009 (सीआईएस नं0–231/2014) बउनवानी

जगदीश बनाम श्रीराम व अन्य, दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश, निर्णय दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश वाद पत्र अस्वीकार किया गया। इस निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत नियमित प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। सुविधा की दृष्टि से पक्षकारों को उनके मूल नामों से ही सम्बोधित किया जायेगा।

(02) प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार है कि–अपीलार्थी/वादी जगदीश द्वारा वादपत्र विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी कस्बा खेतड़ी में वार्ड संख्या 20 का निवासी है जहां वादी के स्वामित्व, अधिकार, आधिपत्य का पुख्ता मकान है। जिसमें वादी सपरिवार आबाद है। वार्ड संख्या 20 में मुख्य सड़क कोलिहान से उत्री और फटकर कदीमी आम रास्ता है जो प्रतिवादी के मकान से आगे से होता हुआ वादी के मकान तक जाता है, उक्त रास्ता प्रतिवादी संख्या 01 के मकान के दक्षिणी पश्चिमी और 15 फुट चौड़ा है व उतरी पूर्वी ओर 13 फुट चौड़ा है। वादी के मकान तक आवागमन का यही एकाकी रास्ता है। प्रतिवादी ने वादवर्णित रास्ते में अपने मकान के दक्षिणी पश्चिमी और करीब 7–8 फुट में खड़्डा खोदकर पिट बना लिया व पिट पर चबुतरा सा बनाकर रास्ते मे स्थाई रूप से अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध/संकरा कर दिया व रास्ते में उतरी पूर्वी ओर पत्थरों की दीवार सात फुट रास्ता दबाकर निर्मित कर रास्ता 06 फुट कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं व रास्ते में बजरी आदि डाली। वादी के रोकने पर नहीं माना और झगड़ा करने लगा। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को व उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर महोदय को भी लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंत में निवेदन किया कि वादवर्णित रास्ता पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किया गया पिट, पत्थरों की दीवार निर्माण को आज्ञापक आदेश देकर हटवाया जाकर रास्ता पूर्ववत चौड़ाई में खुलवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे वादवर्णित रास्ते की भूमि या उसके किसी भाग पर और अतिक्रमण या पुख्ता खाम तामीर कार्य ना करे ना ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे रास्ता अवरूद्ध/बाधित हो। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे प्रतिवादी संख्या 01 को वादवर्णित रास्ते की भूमि या उसके किसी भाग पर कोई तामीर कार्य की

अनुमति ना देवे। दौराने वाद यदि प्रतिवादी संख्या 01 वादवर्णित रास्ते में ओर कोई अतिक्रमण, निर्माण कर लेवे तो उसे भी प्रतिवादी संख्या 01 के खर्चे से हटवाया जावे। वाद, वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर खर्चा वाद, वादी को दिलाया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष हो तो दिलवाया जावे।

(03) प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि वादी के मकानों में जाने का कोई कदीमी रास्ता नहीं है। बल्कि मुख्य रास्ते से उसके मकानों तक नाले व पहाड़ के उपर से केवल पगडंडी ही जाती है। वादी के मकान के दक्षिण पूर्व में केवल आठ फुट तथा उत्तर पूर्व में सात फुट चौड़ा ही विवादित रास्ता है। वादी का मकान पहाड़ पर स्थित होने से तथा मध्य में नाला होने के कारण विवादित रास्ते को कोई जीप ट्रक आदि नही आ जा सकते। उक्त पिट करीब 20 वर्ष पूर्व बनाया था। विवादित जगह पर प्रतिवादी के मकानों के सामने आम रास्ता ना होकर पानी के निकास का नाला स्थित है जो भूमि केवल पैदल जाने के ही आवागमन हेतु उपयोग में आती है जिसको संकड़ा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी ने मकान बनाया उसी समय अपने मकान के सामने उत्तर पूर्व की ओर पक्का व कच्चा पारा बनवाया जो आज भी कायम है। प्रतिवादी को कभी भी उपखण्ड अधिकारी के यहां शिकायत करने बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतिरिक्त उत्तर में कथन किया गया कि उक्त पिट करीब 20 वर्ष पूर्व ही बना लिया गया था तथा विवादित जगह आम रास्ता ना होकर पहाड़ व नाला स्थित है जिससे होकर ट्रक व जीप आ जा नहीं सकती। अंत में वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(04) प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि वादी ने नगरपालिका की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर अवैद्य निर्माण कर रखा है। उक्त रास्ता आम रास्ता नहीं है। वहां कोई ट्रक नहीं जा सकता केवल पैदल का आवागमन है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 दोनों अतिक्रमी है जो नगरपालिका की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अतिक्रमण हटाने का नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी किया है इनके खिलाफ कार्यवाही जारी है। दोनों पक्षों के अवैद्य अतिक्रमण को न्यायालय आदेश से हटवाया जावे। अतिरिक्त उत्तर में कथन किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 दोनों पक्ष ने नगरपालिका की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर अवैद्य निर्माण कर रखा है। वादी न्यायालय से

किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार का अनुतोष दिया जा सकता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को पाबन्द किया जावे कि तथाकथित रास्ते में अतिक्रमण न करे ना रास्ते को सकरा करे। जो अतिक्रमण किया गया है वह स्वयं अपने खर्चे से हटा लेवे।

(05) उभयपक्षों द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये–

01. आया वादपत्र के खण्ड संख्या 02 में वर्णित रास्ते को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पिट व दीवार बना अवरूद्व कर दिया गया है ?

——वादी

02. क्या वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आज्ञापक आदेश व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ?

——वादी

03. अनुतोष

(06) वादी की ओर से अपने अभिवचनो के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी PW–01 जगदीश, PW–02 सुरेश उर्फ बुलाराम, PW–03 राजेश कुमावत को परीक्षीत करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कमिश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रदर्श–01 व प्रदर्श–02, शिकायत प्रार्थना पत्र एसडीएम प्रदर्श–03, नगरपालिका में की गई शिकायत प्रदर्श–04 व प्रदर्श–05, कोरियर रसीद प्रदर्श–06 लगायत प्रदर्श–08, मौका स्थल फोटोग्राफ प्रदर्श–09 लगायत प्रदर्श–12, पहचान पत्र व राशनकार्ड प्रदर्श–13 व प्रदर्श–14 जिनकी फोटो प्रति प्रदर्श–13ए व प्रदर्श–14ए प्रदर्शित करवाए गए।

(07) प्रतिवादीगण की ओर से अभिवचनो के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में DW–01 मनोज कुमार, DW–02 बजरंगलाल को परीक्षीत करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नगरपालिका खेतडी में दिया गया प्रार्थना पत्र की नकल प्रदर्श ए–01 प्रदर्शित करवाया गया।

(08) विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् दोनों पक्षों की बहस अंतिम सुनकर अपीलार्थी/वादी का वाद अस्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

(09) बहस अपील सुनी गई। पत्रावली एवं विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

(10) अपीलार्थी/वादी की ओर से अपील मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की है कि–– विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी/वादी ने अपील के आधारों में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा यह बताया है कि विचारण न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया। अपीलार्थी/वादी ने विवाद्यक संख्या 01 व 02 को अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है, जिन पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व उनकी साक्ष्य पर विश्वास कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए अपीलार्थी/वादी का वाद डिक्री किया जावे।

(11) दौराने बहस अपीलार्थी/वादी की ओर से लिखित प्रस्तुत की गई, जिसमें यह बताया गया कि प्रकरण में वादी ने अपने वाद पत्र में विवादित प्रश्नगत रास्ते के सम्बन्ध में नजरी नक्शा पेश किया था जो कि वाद पत्र का अभिन्न अंग है। प्रश्नगत रास्ते का नाप भी प्रतिवादी के मकान के दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में तथा उत्तर–पूर्व दिशा में स्पष्ट रूप से 15 फीट व 13 फीट का वर्णित किया गया तथा उक्त नजरी नक्शे का प्रतिवादी के गवाह डी0डब्ल्य–02 बजरंगलाल ने जो प्रतिवादी श्रीराम का सगा भाई है, अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि यह नजरी नक्शा सही है जो वादी ने प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी ने कहा है कि फोटोग्राफस प्रदर्श–09 लगायत 12 में स्थिति अब चेंज हो गई है। वादी ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से अभिवचन किया है कि प्रतिवादी ने अपने मकान के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर व उत्तरी पूर्वी हिस्से के आगे पत्थरों की दीवार व पिट बनाकर नजरी नक्शे में वर्णित लाल सुर्ख से दर्शित अवरोध करके रास्ता को अपने पूर्व माप से कम करके 06–07 फुट कर दिया है तथा इसी आधार पर वादी ने अपना अनुतोष चाहा था। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने विवाधक संख्या 01 की विरचना की है जिसके सन्दर्भ में वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श–01 लगायत प्रदर्श–14 प्रदर्शित करवाये हैं जिसमें प्रदर्श–09 लगायत प्रदर्श–12 विवादित जगह/रास्ते से सम्बन्धित फोटोग्राफस है जो स्पष्ट रूप से अवरोधित रास्ते के आगे और पीछे के रास्ता का खुले रूप में वाद वर्णित माप को सही रूप से प्रगट कर रहे हैं तथा मौके पर नजरी नक्शे में

वर्णित लाल सुर्ख रंग से अतिक्रमण को स्पष्ट रूप से साबित कर रहे हैं। विचारण न्यायालय ने विवाधक संख्या 01 का निष्कर्ष के रूप में वादी एवं प्रतिवादी के मकानों के सामने आने जाने का किस नाप का रास्ता अवस्थित है, ऐसी स्थिति में किसी रास्ते का माप भी प्रमाणित नहीं किया गया है, यह निष्कर्ष दिया गया है जो कि पत्रावली पर वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित लाल सुर्ख रंग से रास्ते के माप व अवरोध को स्पष्ट रूप से पेश किया गया है तथा उसका सही होने के तथ्य को स्वंय प्रतिवादी के गवाह डी0डब्ल्यु–02 बजरंगलाल ने सही होना माना है। इससे यह तथ्य प्रमाणित था कि वादी द्वारा जो नजरी नक्शा पेश किया गया था, वह सही रूप से विवादित रास्ते को साबित करता है। प्रकरण में दोनों पक्षों ने विवादित जगह/स्थान पर आम रास्ता होना माना है जिसमें वादी ने 15 फुट तथा 13 फुट बताया है। प्रतिवादी ने इसको 07–08 फुट होना बताया है जो कि अतिक्रमण को छोड़कर बताया है तथा इसकी ताईद कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट के नजरी नक्शे में वादी के मकान के पश्चिम दिशा में दिखाये गये रास्ते से भी स्पष्ट है जो वादी के मकान से आगे पश्चिम में होकर गुजरता है तथा कमिश्नर महोदय ने भी वादी के मकान से प्रतिवादी के मकान के आगे नाप का वर्णन किया है, कमिश्नर महोदय ने छड़ियों की बाड को भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया है जो कि आम रास्ते से विवादित जगह से दुर–दिखाई है जो अवरोध के स्थान पर नहीं है। इससे यह तथ्य पूर्ण रूपेण साबित है कि प्रश्नगत प्रकरण में नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता आम है जो वादी के मकानों तक जाकर पश्चिम दिशा में चला जाता है तथा यह रास्ता प्रतिवादी के मकान के पास दक्षिण–पश्चिम दिशा में 15 फुट एवं उत्तर–पूर्व में 13 फुट की स्थिति पर पत्थरों की दीवार (पारा) एवं लैट्रिन–पिट बनाकर अवरूद्ध करके मौके पर 07–08 फुट रास्ता कर दिया है जिसके सन्दर्भ में विचारण न्यायालय ने समझने में भूल की है तथा तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से गलत निष्कर्ष दिया है जिसको अपास्त कर वादी/अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर वाद वर्णित अनुतोष को प्रदान किया जाना न्याय संगत होगा। अतः अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया जावे। अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए–

01. 2007(1) DNJ (Raj.) 451, Baltej Singh Vs State of Rajasthan

(12) उक्त तर्को का विरोध करते हुये प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया कि वार्ड नं. 20 में

मुख्य सड़क कोलिहान से उत्तरी ओर सटकर कदीमी आम रास्ता हैं जो प्रतिवादी संख्या 01 के मकान से आगे से होता हुआ वादी के मकान तक जाता है। उक्त रास्ता प्रतिवादी संख्या 01 के मकान के दक्षिणी पश्चिमी ओर 15 फुट चौड़ा है तथा उत्तरी पूर्वी ओर 13 फुट चौड़ा है। इस रास्ते से वादी के मकान तक ट्रक, जीप आदि वाहन आते जाते है। वादी के मकान तक आवागमन का यही एकांकी मात्र रास्ता है। इसी रास्ते से प्रतिवादी संख्या 01 का आवागमन हैं। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है जो इसी वाद का भाग रहेगा। वादी ने गत माह में छुट्टियों में वाद वर्णित रास्ते में अपने मकान के दक्षिणी पश्चिमी ओर करीब 07–08 फुट में खड्डा खोदकर पिट बना लिया व पिट पर चबुतरा सा बनाकर रास्ते में स्थायी रूप से अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध/संकरा कर दिया व रास्ते में उत्तरी पूर्वी ओर पत्थरों की दीवार 07 फुट रास्ता दबा कर निर्मित कर रास्ता 06 फुट कर दिया। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है व रास्ते में बजरी आदि डाल ली। वादी ने रोका तो नहीं माना व झगड़ा करने को आमादा हो गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 के पूर्वाधिकारी श्रीराम की ओर से जबाव दावा पेश किया कि जिसमें वादी का रास्ता केवल 7 फुट ही होना बताया है और मकानात बने उस समय से ही उतना ही रास्ता था उसके बाद भगवाना राम के लड़कों ने दूसरी तरफ पारा लगाकर रास्ते को सकड़ा किया गया था. जिससे वादी को दिक्कत होनी चाहिए थी, उसके विरूद्ध भी दावा पेश करना चाहिए था जो वादी ने नहीं पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण के बीच विवाद नगरपालिका खेतड़ी में भी चला था जिसकी पत्रावली चली थी जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श ए–01 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट हो चुका है कि रास्ता भगवानाराम के वारिसों द्वारा लगाया गया पारे से सकड़ा हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 का मकान पारा, 20 वर्ष पहले के बने हुए है गटर (पिट) बनाया वह उनके चौक में बना हुआ हैं। उसके सामने रास्ता 18 व 15 फुट चौड़ा है जहां से आसानी से आना जाना हो रहा था, परन्तु वादी ने उस जगह विलायती किकर की छड़ियों की भरोटी (छड़िया) डालकर अवरूद्ध कर दिया है। जो स्वयं वादी जगदीश व उसका गवाह सुरेश कुमार ए0ड0–02 अपनी जिरह में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार रास्ता स्वयं वादी ने ही रोक रखा है। उसकी शिकायतें सभी झूठी हैं किसी भी संस्था, प्रशासन या नगरपालिका ने कोई निर्णय नहीं दिया, ना ही वादी की और ना ही प्रतिवादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई ना ही वादी

द्वारा प्रस्तुत किसी दरख्वास्त उसके पक्ष में निस्तारित की ऐसा कोई आदेश या निर्देश पत्रवाली पर उपलब्ध नहीं है। विवादित रास्ते से कभी भी कोई जीप गाड़ी नहीं गई, सदैव ही पैदल जाने का रास्ता था और आज भी खुला है। पूर्व में रास्ता कितना चौड़ा था ऐसा कोई भी दस्तावेजात नक्शा, ट्रेस या जमाबन्दी पत्रावली पर वादी ने प्रस्तुत नहीं की। वादी व प्रतिवादीगण के मकानात बने तब से आज तक रास्ते की यही स्थिति है। रास्ता मात्र छड़ियां डालकर बंद किया है. जिनको हटाने से रास्ता खुल जाएगा। विवादित रास्ते से छड़िया हटाने में प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 को कोई परेशानी नहीं हैं। अविलम्ब छड़िया हटा कर रास्ता खोला जा सकता है। प्रतिवादी का जो पारा घुमावदार बताया गया है वह भी मकान बने तब से ही लगा है तथा उसके पास रास्ता 15 फुट, 11 फुट कहीं 18 फुट है यह कमिश्नर रिपोर्ट के नजरी नक्शे से स्पष्ट है। वादी के घर के पास 5 फुट 10 इंच रास्ता है, उसके बाद 9 फुट 6 इंच उसके बाद 11 फुट उसके बाद 14 फुट इस प्रकार अंतिम छोर पर 15 फुट 6 इंच, 18 फुट है। जो कमिश्नर रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है। इस प्रकार विवादित रास्ता पिट के पास 18 फुट पारा के बाद 9 फुट. 15 फुट 16 फुट है। परन्तु वादी के घर के पास केवल 5 फुट 10 इंच व 9 फुट 6 इंच है तो स्पष्ट है कि रास्ता कहीं 5 फुट तो कहीं 18 फुट है तो वह उबड़ खाबड़ जगह है और पहाड़ पर है। रास्ता बरसाती नाला से होता हुआ आगे पहाड़ पर जाता है। यह बात नगरपालिका की पत्रावली से स्पष्ट है। इस प्रकार दावे में अंकित रास्ता 13 फुट, 15 फुट गलत है। और यह केवल पगडण्डी ही था जो आज भी स्थित है। दावा झूठे आधार बनाकर पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य हैं। समस्त साक्ष्य से यह साबित है कि पिट व पारा (घुमावदार) दीवार से रास्ता अवरूद्ध नहीं हैं। केवल रास्ते में छड़िया डालकर ही अवरूद्ध कर रखा है। अतः अपीलार्थी/वादी द्वारा की गई आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

(13) उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। विचारण न्यायालय की ओर से पारित आक्षेपित निर्णय का, अपील मेमो में प्रस्तुत किये गये आधारों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के अन्तर्गत विवेचन किया गया।

(14) अब न्यायालय को देखना यह है कि ''क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई विधिक व तथ्यात्मक भूल की गई है और परिणामतः अपील स्वीकार

की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है ?''

(15) विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नांकित है–

विवाद्यक संख्या 01

(16) इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर रहा है। इस संबंध में वादी की ओर से स्वयं वादी पी0ड0–01 जगदीश ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कमिश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रदर्श–01 व प्रदर्श–02, शिकायत प्रार्थना पत्र एसडीएम प्रदर्श–03, नगरपालिका में की गई शिकायत प्रदर्श–04 व प्रदर्श–05, कोरियर रसीद प्रदर्श–06 लगायत प्रदर्श–08, मौका स्थल फोटोग्राफ प्रदर्श–09 लगायत प्रदर्श–12, पहचान पत्र व राशनकार्ड प्रदर्श–13 व प्रदर्श–14 जिनकी फोटो प्रति प्रदर्श–13ए व प्रदर्श–14ए प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि मकान उसके पिता ने बनाया था, जिसका पट्टा नहीं है। पट्टे की फाईल साक्षी ने पेश कर रखी है। साक्षी स्वीकार करते है कि उसके पिताजी ने बिना पट्टे लिए ही मकान बनाए थे। जहां उसने मकान बना रखा है वह गैर मुमकिन पहाड़ है। श्रीराम ने जो शौचालय एवं पिट का निर्माण कर रखा है वह 07 वर्ष पुराना है तथा दीवार भी सात वर्ष पूर्व बना ली थी। साक्षी स्वीकार करते है कि नक्शा मौका रिपोर्ट की उसने आज तक कोई आपत्ति नहीं की। साक्षी स्वीकार करते है कि कमिश्नर रिपोर्ट में रास्ता 9.6 इंच दिखा रखा है लेकिन उसका रास्ता 13 फुट है। साक्षी स्वीकार करते है कि रास्ते मे छड़ी डालकर उसने भी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे रास्ता सकरा हो गया तथा श्रीराम ने भी रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है। साक्षी स्वीकार करते है कि उसके द्वारा रास्ते में छड़ी डालने से रास्ता संकरा हो गया है। साक्षी स्वीकार करते है कि वह एवं श्रीराम अपने अपने छड़े हटा ले तो रास्ता खुल जायेगा।

(17) वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0ड0–02 सुरेश अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वाद वर्णित रास्ते को जानना, जो वार्ड नं0–20 में मुख्य सड़क कोलिहान से उत्तरी ओर फटकर कदीमी आम रास्ता होना और प्रतिवादीगण के मकान के आगे से होता हुआ वादी के मकान तक जाना, वादी के आवागमन का एकाकी रास्ता होना, प्रतिवादी श्रीराम द्वारा करीब 07 वर्ष पहले वाद वर्णित रास्ते में अपने मकान के दक्षिणी पश्चिमी ओर करीब 07–08 फुट खड्डा खोदकर पिट बना लेना, पिट पर चबूतरा बनाकर रास्ते में स्थाई रूप से अतिक्रमण कर रास्ता

सकरा/अवरूद्व करना, रास्ता अवरूद्व होने से वादी को हानि होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करते है कि शौचालय के पिट के पास जगदीश ने छड़ी डाल रखी है। श्रीराम के मकान से जगदीश के मकान की तरफ जाते है तब एक तरफ श्रीराम का पारा है तथा एक तरफ भगवाना के लड़के का पारा है। भगवाना राम के लड़के ने जो पारा लगा रखा है वो सफेद जमीन है, जो सरकारी जमीन है। श्रीराम के घर से जगदीश के घर तक 12–13 फुट का रास्ता है। पिट से आगे व रोड़ के बीच में 15 फुट का रास्ता है। पहले उक्त रास्ते से ट्रक जाते थे लेकिन अब 8–10 वर्षों से ट्रक नहीं जा पाते है। इस सुझाव से इंकार किया कि भगवाना के लडकों ने जो पारा लगाया है उसके बाद भी ट्रक आते जाते रहे है। साक्षी स्वीकार करते है कि जगदीश व श्रीराम ने सरकारी भूमि पर मकान बना रखे हैं, जो नगरपालिका की भूमि है। इस सुझाव से इंकार किया कि रास्ते पर जगदीश ने कहीं छड़ी डाल रखी हो। नगरपालिका की ओर से नोटिस श्रीराम को दिया गया है। जगदीश को नहीं दिया गया है।

(18) साक्षी पी0ड0–03 राजेश कुमावत अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वाद वर्णित रास्ते को जानना, उक्त रास्ता प्रतिवादी के मकान के दक्षिणी पश्चिमी ओर 15 फुट व उत्तर पूर्वी ओर 13 फुट चौड़ा होना, वार्ड नं0–20 में वाद वर्णित रास्ता कदीम से पूर्वजों के समय से होना, जो कोलिहान नगर सड़क से उत्तरी ओर प्रतिवादी श्रीराम के मकान के आगे से होता हुआ वादी के मकान तक जाना, जो वादी के आवागमन का एकाकी रास्ता होना, इसी रास्ते से वादी के मकान तक ट्रक जीप आदि वाहन का आना–जाना, प्रतिवादी श्रीराम द्वारा विवादित रास्ते में नाजायज रूप से कब्जा अतिक्रमण कर पिट पत्थरों की दीवार निर्मित कर रास्ता आधे से अधिक अवरूद्व कर देना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि श्रीराम को मकान बनाये 20–25 वर्ष हो गये, परन्तु लेट्रिन पिट डण्डा 07–08 वर्ष पूर्व बनाया। श्रीराम के मकान से आगे 13 फुट व पीछे 15 फुट रास्ता है। श्रीराम के मकान के आगे कोई रास्ता नहीं है। नाला है, रास्ते जो नीचे नाले में से जो रास्ता है उसमें कीकर खड़ीं हुई है। रास्ते के बराबर कीकरे खड़ी हुई है, रास्ता सकरा हुआ है।

(19) प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादी डी0ड0–01 मनोज कुमार परीक्षित हुए है, जिन्होंने अपने साक्ष्य शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नगरपालिका खेतडी में दिया गया प्रार्थना पत्र की नकल प्रदर्श ए–01 प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि जगदीश के मकानों के आगे चलते है तो वहां 07–08 चौडा रास्ता है। प्रदर्श पी–12 फोटो को साक्षी ने देख कर कहा कि वादी के घर के पास जो रास्ता है वो यही स्थिति है। साक्षी के पिताजी ने दावे में जवाब दावे के साथ कोई विवादित रास्ते का नजरी नक्शा पत्रावली पर पेश किया हो तो वह नहीं बता सकता। प्रदर्श–09, 10, 11 फोटो को देख कर साक्षी ने कहा कि मौके की यही स्थिति है। उसके पिताजी ने उनके मकान आगे का डंडा लेटरिंग पीट और कच्चा पारा की विधिवत रूप से नगरपालिका से स्वीकृति ली हो तो उसे नहीं पता। साक्षी स्वीकार करते है कि निर्माण के संबंध में उन्होने कोई निर्माण स्वीकृति नगरपालिका से ली हो ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली पर मौजुद नही है। इस सुझाव से इंकार किया कि उसके पिताजी ने नगरपालिका के रास्ते की जमीन पर पीट बना कर कब्जा कर लिया हो इसके सबंध में नगरपालिका ने उनको कोई नोटिस दिया हो। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका खेतडी के नोटिस की इबारत को पढ़कर कहा कि ऐसा नोटिस उसके पिताजी श्रीराम को नहीं दिया गया। अशोक उसका छोटा भाई है। वह अपने छोटे भाई अशोक के हस्ताक्षर नहीं पहचानता। नोटिस के पीछे उसके हस्ताक्षर है या नहीं उसे नहीं पता। साक्षी स्वीकार करते है कि उसके पिताजी को जो नोटिस दिया है उसकी सत्यप्रति पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली में नगरपालिका में वादी जगदीश ने उसके पिताजी के खिलाफ आम रास्ते में अतिक्रमण कि शिकायत की थी उसकी प्रति प्रदर्श–04 है। साक्षी स्वीकार करते है कि वादी जगदीश द्वारा उसके पिताजी द्वारा आम रास्ते में अवैध निर्माण को हटाने के लिए एसडीएम साहब को शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–03 है। साक्षी स्वीकार करते है कि उपखण्ड अधिकारी ने वादी के शिकायत की जांच हेतु पत्र अधिशाषी अधिकारी खेतड़ी को भेजी थी, जिसकी सत्यप्रति पत्रावली में संलग्न है। साक्षी स्वीकार करते है कि प्रदर्श पी–01 की कमिश्नर रिपोर्ट की उसके पिताजी ने कोई आपत्ति की हो तो वह नहीं बता सकता, क्योंकि आपत्ति पत्रावली पर मौजुद नहीं है। साक्षी स्वीकार करते है कि प्रदर्श पी–02 पर उसके पिताजी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श–02 में मार्क एक्स स्थान में अंकित 11 फीट 05 इंच सही दिखाया है तथा मार्क वाई 10 नम्बर से 15 फीट 06 इंच व मार्क जेड 11 नम्बर में जो 18

फीट रास्ता दिखाया है वो सही दिखाया है। नाले की भूमि के बारे में कोई रिकार्ड उसके पिताजी ने पत्रावली पर रिकार्ड पेश किया हो तो वह नहीं बता सकता। सुरेश का बाड़ा होगा उसे अनुमान नहीं है। यह प्रदर्श–02 पर वादी के मकान के पीछे कमिश्नर ने रास्ता दर्शाया है। साक्षी स्वीकार करते है कि प्रदर्श–05 में जगदीश द्वारा उसके पिताजी के विरूद्ध रास्ते में गटर पारा की शिकायत अधिशाषी अधिकारी खेतडी को दी थी। उसके पिताजी ने नगरपालिका खेतडी में अपने द्वारा अवैध निर्माण को हटाने की स्वीकृति दी हो तो उसे पता नहीं है। उनके लेटरिंग पिट, गेट व पारे के संबंध में कोई सबूत हो तो उसे नहीं पता। इस सुझाव से इंकार किया कि उस रास्ते से वादी के घर तक ट्रक जाता हो। साक्षी स्वीकार करते है कि उनके घर के गेट तक गाडी जाती है, अजखुद कहा कि टू विल्हर जाता है। साक्षी स्वीकार करते है कि उनके गेट के साथ में पारा गोलाई में है। इस सुझाव से इंकार किया कि पारा पक्का से बना हो। साक्षी स्वीकार करते है कि लेटरिंग पिट उनकी दीवार के बाहर है क्योकि उन्होंने दीवार का काम रोक रखा है। इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने जो कच्चा पारा बना रखा है उसको यदि वो हटा ले तो रास्ता चौडा हो जायेगा। इस सुझाव से इंकार किया कि उनका पिट रास्ते में हो। इस सुझाव से इंकार किया कि वादी के मकान तक जो रास्ता है उस रास्ते में अवैध लेट्रिन पिट व पारा बना कर रास्ते को संकडा कर दिया जिससे वादी के मकान तक गाडी नहीं जा सकती हो। साक्षी स्वीकार करते है कि खरीद के कागज पत्रावली पर नही है। विवादित रास्ता दक्षिण से पश्चिम 15 फीट व उतर से पूर्व 13 फीट रास्ता है ये प्रश्न वह नहीं समझा। रास्ता व पगडंडी के बारे में उसे अन्तर पता नही है। जबाब दावा के खण्ड संख्या 2 मे वादी के मकान के दक्षिणी पूर्व में 08 फीट व उतरी पूर्व में 07 फीट विवादित रास्ता है, यह सही लिखा है। साक्षी स्वीकार करते है कि रास्ता संकडा होने से विवादित रास्तें से गाडी वाहन नहीं आ जा सकते है क्योंकि वहा पर पतला रास्ता है आज तक वहां कोई वाहन गया ही नही।

(20) प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी डी0ड0–02 बजरंगलाल परीक्षित हुए है, जो जवाब वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं साक्षी डी0ड0–01 मनोज कुमार के साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करते है कि श्रीराम के पास इस जगह का पट्टा नहीं है। साक्षी स्वीकार करते है कि उसने भी नगरपालिका की जमीन में

मकान बना रखे है। साक्षी स्वीकार करते है कि श्रीराम ने जगदीश के मकानों की साईड में कच्चे पारे की दीवार बना रखी है। मकानों के आगे लेट्रिन पिट बना रखा है। मैंगजिन रोड से जगदीश के मकानो तक बयान देने से 07 साल पहले भी रास्ता खुला था ओर बयान देते समय भी रास्ता खुला है। साक्षी स्वीकार करते है कि श्रीराम के मकानों से पहले जगदीश वादी के मकान बन चुके थे। साक्षी स्वीकार करते है कि वादी जगदीश के काफी पुराने मकान है, अजखुद कहा कि श्रीराम के मकान से 05–07 पहले ही जगदीश ने मकान बनाये है। साक्षी अपने शपथ पत्र में विवादित जगह को नाले की जगह अंदाजे से बता रहा है क्योंकि इसमें बरसात का पानी आता हैं, उसने इसके कोई राजस्व रिकार्ड में कागज नहीं देखे है। साक्षी स्वीकार करते है कि श्रीराम ने गेट से बाहर लेट्रिन पिट बना रखे है। साक्षी स्वीकार करते है कि वादी व प्रतिवादी में रास्ते का विवाद 07 वर्ष पुराना है। साक्षी ने वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को देख कर कहा कि यह नजरी नक्शा सही है। उसने रास्ते में भगवाना के लडके द्वारा अतिक्रमण करने व जगदीश के द्वारा छडी डालने बाबत वह कोई सबूत लेकर नहीं आया है। साक्षी ने कहा कि श्रीराम द्वारा अपने लेटरिन पीट व कच्चे पारे की दिवार को हटा ले तो गाडी, जीप व बस नहीं जा सकती। गाडी की चौडाई 08–10 फीट व जीप की 06 फीट चौडाई होती है।

(21) उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

(22) विवाद्यक संख्या 01 के संदर्भ में अपीलार्थी/वादी को यह सिद्ध करना था कि वादपत्र के खण्ड संख्या 02 में वर्णित रास्ते को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पिट व दीवार बना अवरूद्व कर दिया गया है। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित रास्ते के पास स्थित दोनों ही पक्षों के मकानों के पट्टे नहीं है। स्वयं वादी पी0ड0–01 जगदीश प्रतिपरीक्षण में बताते है कि मकान उनके पिताजी ने बनाया था, जिसका पट्टा नहीं है। इसी प्रकार साक्षी डी0ड0–01 मनोज कुमार प्रतिपरीक्षण में बताते है कि उन्होंने जो मकान, लेट्रिन पिट व बाड़ा बना रखा है, वह उन्होंने 30–05 साल पहले खरीदी थी, खरीद के कागजात पत्रावली पर नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों ही पक्षो द्वारा अपने–अपने मकानो के संबंध में किसी भी प्रकार का नाप से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली

में प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों के पास विवादित रास्ते के पास स्थित अपने मकानों के पट्टे नहीं होना प्रमाणित होता है।

(23) साक्षी पी0ड0–01 जगदीश प्रतिपरीक्षण में बताते है कि श्रीराम ने जो शौचालय पिट का निर्माण कर रखा है, वह 07 वर्ष पुराना है तथा दीवार भी 07 वर्ष पूर्व बना ली थी। उक्त साक्षी स्वीकार करते है कि नक्शा मौका रिपोर्ट की उसने आज तक कोई आपत्ति नहीं की। उक्त साक्षी यह भी स्वीकार करते है कि कमिश्नर रिपोर्ट में रास्ता 9.6 इंच दिखा रखा है, लेकिन उसका रास्ता 13 फुट है। उसके घर से आते वक्त रास्ते में भगवानाराम के लड़के ने पारा लगा रखा है तथा पश्चिम में प्रहलाद के जंवाई ने पारा लगा रखा है तथा भगवाना प्रहलाद के बीच वर्तमान में 13 फुट रास्ता है। साक्षी पी0ड0–01 जगदीश प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार करता है कि रास्ते मे छड़ी डालकर उसने भी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे रास्ता सकरा हो गया तथा श्रीराम ने भी रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है। उक्त साक्षी स्वीकार करते है कि उसके द्वारा रास्ते में छड़ी डालने से रास्ता सकरा हो गया है। उक्त साक्षी स्वीकार करते है कि वह एवं श्रीराम अपने अपने छड़े हटा ले तो रास्ता खुल जायेगा। कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–01 का अवलोकन करे तो विवादित रास्ता कहीं पर 9.6 फीट, कहीं 11 फीट, कहीं 14.10 फीट, कहीं 9.5 फीट, कहीं 8.6 इंच, कहीं 10.9 फीट, कहीं 5.10 फीट, कहीं 6.6 फीट इत्यादि बताया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने कमिशनर रिपोर्ट के अनुसार दर्शाए गए रास्ते पर आपत्ति भी नहीं उठाई गई है। विवादित रास्ता कितना चौड़ा है, इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से विवादित रास्ते का मानक माप नहीं बताया गया है। वादी ने अपने वादपत्र में विवादित रास्ता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पिट व दीवार बना अवरूद्व करना बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में विवादित रास्ते में छड़ी डालकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। स्वयं वादी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह तथा प्रतिवादी श्रीराम अपने अपने छड़ी हटा ले तो रास्ता खुल जायेगा। इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि दोनों ही पक्षों ने विवादित रास्ते में छड़ी डालकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे विवादित रास्ता संकड़ा हो गया है, न कि प्रतिवादी द्वारा विवादित रास्ते में पिट तथा बाड़ा/पारा लगाकर अतिक्रमण किया गया है।

(24) वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी द्वारा विवादित रास्ते में अपने मकान के दक्षिणी

पश्चिमी ओर करीब 07–08 फुट में खड्डा खोदकर पिट बनाना और पिट पर चबूतरा बनाकर व दीवार बनाकर रास्ते में स्थाई रूप से अतिक्रमण करना बताया है, परन्तु उभयपक्षों की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि पिट/चबूतरा तथा दीवार बनाने के कारण रास्ता अवरूद्व हो गया हो। क्योंकि कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–01 में विवादित रास्ता कहीं पर 9.6 फीट, कहीं 11 फीट, कहीं 14.10 फीट, कहीं 9.5 फीट, कहीं 8.6 इंच, कहीं 10.9 फीट, कहीं 5. 10 फीट, कहीं 6.6 फीट इत्यादि बताया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों की ओर से विवादित रास्ते का मानक माप भी नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पिट व दीवार बना अवरूद्व कर दिया हो। अपितु वादी तथा प्रतिवादी विवादित रास्ते से अपनी–अपनी छड़िया हटा ले तो यह रास्ता और चौडा हो सकता है। जिस तथ्य को स्वयं वादी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार भी किया है।

(25) वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है विवादित रास्ते को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार पिट व दीवार बना कर अवरूद्व किया गया है, यह प्रमाणित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 01 में जो निष्कर्ष पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 01 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए यह विवाद्यक संख्या 01 अपीलार्थी/वादी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02

(26) इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार अपीलार्थी/वादी पर है। विवाद्यक संख्या 01 वादी के विपक्ष में निर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी विरूद्व प्रतिवादी आज्ञापक आदेश व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 02 में जो निष्कर्ष पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 02 अपीलार्थी/वादी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

अनुतोष

(27) विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः हस्तगत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(28) परिणामतः अपीलार्थी/वादी जगदीश की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी श्रीराम (नानची देवी व अन्य) अस्वीकार की जाती है।

(29) विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश खेतडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 सितम्बर, 2019 की पुष्टि की जाती है।

(30) अपील खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी जिला–झुन्झुनू।

(31) निर्णय आज दिनांक 18 अप्रेल, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी जिला–झुन्झुनू